भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 295
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की मुख्य विशेषताएं
295. श्री सी. एन. अन्नादुरईः
श्री जी. सेल्वमः
श्री नवसकनी के.:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना के अंतर्गत मृदा परीक्षण की आवृत्ति, विश्लेषण किए गए मापदंड और किसानों को सलाहकारी सूचना देने के तरीके सहित इसकी प्रमुख विशेषताओं और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह योजना उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने, फसल उत्पादकता में सुधार लाने और आदान लागत को कम करने में सहायक है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त योजना के आरंभ से अब तक तमिलनाडु में किसानों को जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्डों की वर्षवार और जिला-वार कुल संख्या कितनी है;
(घ) एसएचसी योजना के अंतर्गत इसके आरंभ से अब तक तमिलनाडु के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;
(ङ) कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), कृषि विश्वविद्यालयों या ब्लॉक-स्तरीय कार्यालयों में स्थापित स्थिर प्रयोगशालाओं, गतिशील मृदा परीक्षण वैनों और मिनी-प्रयोगशालाओं सहित तमिलनाडु में वर्तमान में चल रही मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है और ये किस प्रकार की हैं; और
(च) क्या सरकार का विचार मौजूदा मृदा परीक्षण अवसंरचना को उन्नत करने या निर्बाध सेवा सुपुर्दगी हेतु इसे अन्य डिजिटल कृषि प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
<u>कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)</u>

(क) से (ग): मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना वर्ष 2014-15 से सभी कृषि जोतों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) उपलब्ध कराने हेतु कार्यान्वित की जा रही है ताकि उत्पादकता और मिट्टी की उर्वरता प्रबंधन में सुधार करने के लिए संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। मिट्टी के नमूनों का मानक प्रक्रियाओं के अनुसार परिवर्तित किया जाता है और पीएच, इलेक्ट्रीकल कॉनडेक्टीविटी, कार्बनिक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्वों (जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज और बोरॉन) जैसे मापदंडों के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है। किसानों के खेतों का निदानात्मक मृदा स्वास्थ्य मूल्यांकन समय-समय पर किया जाता है ताकि कम से कम 3 वर्षों में एक बार एसएचसी जारी किए जा सके। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) किसानों को जारी किए जाते हैं जो मिट्टी की पोषक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं और मृदा स्वास्थ्य एवं उसकी उर्वरता, फसल उत्पादकता में सुधार और इनपुट लागत को कम करने के

लिए उर्वरकों की समुचित मात्रा एवं प्रकार पर सिफारिशें दी जाती हैं। वर्ष 2014-15 से अब तक तमिलनाडु राज्य में 1,52,51,840 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) तैयार/वितरित किए जा चुके हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल (16.07.2025 तक) के अनुरूप 2022-23 से 2025-26 तक तमिलनाडु राज्य में किसानों को जारी किए गए वर्षवार और जिलावार मृदा स्वास्थ्य कार्ड **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(घ) योजना की शुरुआत से अब तक तमिलनाडु के लिए मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के अंतर्गत 127.19 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया गया है।

(ङ) स्थिर प्रयोगशालाओं, मोबाइल मृदा परीक्षण वैन और लघु प्रयोगशालाओं सहित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या; तमिलनाडु में स्थापित प्रयोगशालाओं की संख्या इस प्रकार है:

क्रम सं.	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रकार	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या
1.	स्थैतिक मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं	37
2.	मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं	21
3.	ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं	1
4.	कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) छोटे मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं	31
5.	स्थैतिक प्रयोगशालाएं, तमिलनाडु राज्य कृषि विश्वविद्यालय	12
6.	स्कूल मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाएं	29
	कुल	131

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सभी 131 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं प्रचालन में हैं।

(च) सरकार ने इस योजना के अधीन एटोमिक अब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर (एएएस)/इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज़्मा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (आईसीपी) के साथ मौजूदा मृदा परीक्षण अवसंरचना के उन्नयन की अनुमति प्रदान की है। डिजिटल एकीकरण के रूप में एएचसी पोर्टल पर मृदा प्रयोगशाला रजिस्ट्री ऑनलाइन बनाई गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड को डिजिटल रूप से बनाने के लिए परीक्षण परिणाम एएचसी पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं।

अनुबंध-I

योजना के आरंभ से अब तक तमिलनाडु राज्य में किसानों को वर्षवार और जिलेवार जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड

क्र. सं.	जिला	2014-15	चरण । (2015-16 और 2016-17)	चरण ॥ (2017-18 और 2018-19)	2019-20	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (16.07.2025 तक)	कुल
1	अरियालुर	8,000	110,109	120,886	1,146	2,220	4,001	7,350	1,601	255,313
2	चेंगलपट्टू	-	-	-	-	3,690	7,299	9,350	556	20,895
3	कोयंबटूर	11,500	119,500	116,813	2,102	2,440	4,600	6,050	1,052	264,057
4	कुड्डालोर	10,000	320,493	310,644	1,247	7,240	13,800	20,250	2,910	686,584
5	धर्मपुरी	9,000	210,300	210,300	1,048	2,290	4,900	10,100	1,359	449,297
6	डिण्डीगुल	8,000	245,053	249,291	1,938	2,890	6,167	10,050	1,629	525,018
7	इरोड	12,600	193,779	199,121	1,617	1,940	4,200	8,774	2,916	424,947
8	कल्लाकुरिची	-	-	-	-	4,740	8,402	12,400	1,144	26,686
9	कांचीपुरम	10,000	141,729	213,656	1,056	3,040	5,500	7,100	1,239	383,320
10	कन्याकुमारी	9,500	172,333	237,482	2,040	1,090	1,900	3,050	2,671	430,066
11	करूर	12,210	150,433	147,121	2,185	1,390	2,898	6,700	3,089	326,026
12	कृष्णागिरी	12,900	257,080	243,205	1,098	2,840	6,300	11,450	1,918	536,791
13	मदुरई	14,800	257,027	257,027	2,044	4,590	8,451	11,750	4,123	559,812
14	माइलादुत्रयी	-	-	-	-	2,590	4,702	7,350	-	14,642
15	नागापट्टिनम	12,110	147,289	145,188	1,603	2,240	3,900	7,900	1,473	321,703
16	नामक्कल	12,200	231,949	243,766	1,423	3,340	6,506	11,950	1,878	513,012
17	पेरम्बलुर	12,500	127,118	119,188	1,345	1,390	2,500	5,950	1,880	271,871
18	पुडुकोट्टई	11,500	342,435	330,797	2,594	4,940	9,800	14,300	2,152	718,518
19	रामानाथापुरम	11,000	218,405	206,604	4,046	4,690	8,600	13,650	1,189	468,184
20	रानीपेट	-	-	-	-	3,440	5,700	7,700	1,253	18,093
21	सलेम	10,000	262,759	252,388	3,626	3,590	7,440	15,000	2,497	557,300
22	शिवगंगा	7,000	356,489	352,416	1,876	4,640	8,798	12,700	1,868	745,787
23	टेनकासी	0	0	0	0	2,490	3,940	7,150	1,233	14,813
24	थन्जावुर	9,700	298,434	289,745	1,833	6,790	11,800	20,700	3,789	642,791
25	नीलगिरी	6,000	71,561	70,300	984	330	612	670	649	151,106
26	थेनी	6,000	153,724	137,573	1,418	1,940	2,623	4,354	750	308,382
27	तिरुपुर	6,000	121,966	139,296	2,569	4,940	5,135	9,200	1,630	290,736
28	तिरुवल्लुर	12,200	198,906	177,748	1,115	4,440	10,436	14,232	1,874	420,951
29	थिरुवन्नमलाई	12,900	339,508	365,777	2,131	2,440	17,514	26,852	3,140	770,262
30	थिरुवरुर	12,800	174,578	169,735	1,252	1,940	8,893	15,700	1,612	386,510
31	थूथुक्कड़ी	9,400	205,435	210,451	1,858	2,890	8,700	14,950	2,565	456,249
32	तिरुचिरापल्ली	10,010	303,098	261,560	2,612	5,740	8,300	12,150	2,375	605,845
33	तिरुनेलवेली	9,500	269,729	277,927	2,339	8,940	4,076	5,850	1,220	579,581
34	तिरुपाथुर	-	-	-	-	4,640	4,000	6,050	274	14,964
35	वेल्लोर	10,035	250,339	252,115	2,472	2,440	5,101	7,550	877	530,929
36	विल्लुपुरम	12,500	606,290	570,154	2,423	7,390	13,906	19,400	2,751	1,234,814
37	विरुधुनगर	12,500	142,152	138,380	1,277	5,440	9,000	14,318	2,918	325,985
	कुल	324,365	7,000,000	7,016,654	58,317	134,050	250,400	400,000	68,054	15,251,840

****